भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न 1828**
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: एआईएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति**
**1828. श्री तारिक अनवरः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बिहार और सीमांचल क्षेत्र के इलाकों में प्रधानमंत्री आनंद योजना के तहत स्थापित कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) से वित्तपोषित शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्यवर्धन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या बिहार और सीमांचल क्षेत्र में आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों के बंपर उत्पादन के बावजूद, वर्तमान में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें अपनी उपज सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है; और
(ग) क्या इन क्षेत्रों में बागवानी फसलों के लिए किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु "ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल" योजना के तहत विपणन हस्तक्षेप का कोई प्रस्ताव है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): बिहार और सीमांचल क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री आनंद योजना” नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत, बिहार में फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर, शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य मूल्यवर्धन परियोजनाओं के लिए योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 26.01.2026 तक 2,222 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें सीमांचल क्षेत्र (पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज) की 411 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख): बिहार राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय भंडारण को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु एआईएफ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी योजनाओं का समन्वय किया जा रहा है।

(ग): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) घटक के तहत, TOP फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन और भंडारण लागत की प्रतिपूर्ति का अल्पकालिक हस्तक्षेप घटक, उत्पादन राज्यों से उपभोग राज्यों तक TOP फसलों के भंडारण और परिवहन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों के लिए कार्यान्वित की जाती है।

******